प्रस्तावना

1. सरकारी वाणिज्यिक संस्थाएं, जिनकी लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैः

(i) सरकारी कम्पनियाँ

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्त्तों) अधिनियम, 1971 यथा समय-समय पर संशोधित धारा 19(क) के अधीन झारखण्ड सरकार के समक्ष प्रस्तुती हेतु तैयार किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, जो एक सांविधिक निगम है, और झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। इस निगम/आयोग के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।